



तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 09/2025

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की  
तामिलमें जारी  
हुए

जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड क्षेत्र सिरौही की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निष्कासन अवधि में दिनांक 10-8-2025 व 20-8-2025 को पुलिस थाना अनादरा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर/अनादरा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

जज, जिला न्यायालय  
सिरौही-307801.

